न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 404 सन 2019

अनवान :–

1. महेन्द्रसिह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हरदेवाराम पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
2. रामेश्वर पुत्र श्रीचन्द्र जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
3. साहबराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
4. श्योपत पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
5. कृष्ण पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
6. सतपाल पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
7. सतवीर पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
8. धर्मपाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
9. दयाराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
10. मनीराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
11. पूर्णाराम पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
12. ओमप्रकाश पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
13. दीपचन्द पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
14. राजाराम पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 26/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा लाखासर के खता संख्या 170/108 के खरारा न0 484/458 की 1.5680व खाता संख्या 361/308 के खसरा न0 58 की 7.8910हैक एवं खाता संख्या 101/89 के खसरा न0 483/11 की कुल 1.7700हैक व खाता संख्या 194/178 के खसरा न0 482/11 की कुल 1.8340हैक व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 205/186 के खसरा न0 13/1 की 2.394हैक खसरा न0 292 की 5.3750हैक खसरा न0 12/1 की 1.299हैक कुल 9.071हैक रोही मौजा लाखसर के खाता संख्या 118/271 के खसरा न0 291/457 की कुल 5.3750हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार सदस्य है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा की भूमि काश्त करते आ रहे है वादी व प्रतिवादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जो वादी की मद संख्या 4 में दर्ज है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी व प्रतिवादीगण के हक हिस्सा बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी व प्रतिवादीगण के नाम से मुश्तरका खाते मे दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर के खता संख्या 170/108 के खसरा न0 484/458 की 1.5680व खाता संख्या 361/308 के खसरा न0 58 की 7.8910हैक एवं खाता संख्या 101/89 के खसरा न0 483/11 की कुल 1.7700हैक व खाता संख्या 194/178 के खसरा न0 482/11 की कुल 1.8340हैक व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 205/186 के खसरा न0 13/1 की 2.394हैक खसरा न0 292 की 5.3750हैक खसरा न0 12/1 की 1.299हैक कुल 9.071हैक रोही मौजा लाखसर के खाता संख्या 118/271 के खसरा न0 291/457 की कुल 5.3750हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार सदस्य है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा की भूमि काश्त करते आ रहे है वादी व प्रतिवादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जो वादी की मद संख्या 4 में दर्ज है करवा पाने के अधिकारी है व अपने क्थनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर के खता संख्या 170/108 के खसरा न0 484/458 की 1.5680व खाता संख्या 361/308 के खसरा न0 58 की 7.8910हैक एवं खाता संख्या 101/89 के खसरा न0 483/11 की कुल 1.7700हैक व खाता संख्या 194/178 के खसरा न0 482/11 की कुल 1.8340हैक व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 205/186 के खसरा न0 13/1 की 2.394हैक खसरा न0 292 की 5.3750हैक खसरा न0 12/1 की 1.299हैक कुल 9.071हैक रोही मौजा लाखसर के खाता संख्या 118/271 के खसरा न0 291/457 की कुल 5.3750हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादी व प्रतिवादीगण ने अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा की भूमि काश्त करते आ रहे है वादी व प्रतिवादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जो वादी की मद संख्या 4 में दर्ज है वादी के कथनों को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है

एक ही परिवार के सदस्य अपने हक हिस्सा के अनुसार एवं भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर सकते है और बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 के पास रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 101/205/286 के खसरा न0 13/1 की 2.394हैक , खसरा न0 12/1 की 1.299हैक , खसरा न0 292/1 की 4.110हैक भूमि बहिव रहेगी ,प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 101/205/186 के खसरा न0 292/2 की 1. 265 हैक एवं खाता संख्या 117/108 के खसरा न0 484/458 की कुल 1.5680हैक एवं खाता संख्या 118/271 के खसरा न0 292/457 /1 की 1.2650हैक भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पास रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 1118/271 के खसरा न0 292/457/2 की 4.110हैक , खाता संख्या 101/186 के खसरा न0 12/3 की 0.598हैक खसरा न0 482/11/3 की 0.287हैक , खसरा न0 12/2 की 0.598हैक खसरा न0 482/11/4 की 0.319हैक भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 के पास रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 361/308 के खसरा न0 58 की 7.891हैक बहिव रहेगी एवं रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 483/11/1 की 0.574हैक , खताा संख्या 124/178 के खसरा न0 482/11/2 की 0.311हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 दयाराम के पास रहेगी व खसरा न0 482/11/1 की 0.949हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 10 मनीराम के पास रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. महेन्द्रसिह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 हरदेवाराम पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
2. रामेश्वर पुत्र श्रीचन्द्र जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
3. साहबराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
4. श्योपत पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
5. कृष्ण पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
6. सतपाल पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
7. सतवीर पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
8. धर्मपाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
9. दयाराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
10. मनीराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
11. पूर्णाराम पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
12. ओमप्रकाश पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
13. दीपचन्द पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
14. राजाराम पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरडकी तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 923 सन 2020 निर्णय दिनांक– 26/11/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 के पास रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 101/205/286 के खसरा न0 13/1 की 2.394हैक , खसरा न0 12/1 की 1.299हैक , खसरा न0 292/1 की 4.110हैक भूमि बहिव रहेगी ,प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 101/205/186 के खसरा न0 292/2 की 1.265 हैक एवं खाता संख्या 117/108 के खसरा न0 484/458 की कुल 1.5680हैक एवं खाता संख्या 118/271 के खसरा न0 292/457 /1 की 1.2650हैक भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पास रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 118/271 के खसरा न0 292/457/2 की 4.110हैक , खाता संख्या 101/186 के खसरा न0 12/3 की 0.598हैक खसरा न0 482/11/3 की 0.287हैक , खसरा न0 12/2 की 0.598हैक खसरा न0 482/11/4 की 0.319हैक भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 के पास रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 361/308 के खसरा न0 58 की 7.891हैक बहिव रहेगी एवं रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 483/11/1 की 0.574हैक ,खाता संख्या 124/78 के खसरा न0 482/11/2 की 0.311हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 दयाराम के पास रहेगी व खसरा न0 482/11/1 की 0.949हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 10 मनीराम के पास रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner